पुलिस आयुक्त कार्यालय : दिल्ली
पुलिस मुख्यालय , जय सिंह रोड , नई दिल्ली – 110001

आदेश

विषय: **नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।**

तीन नए आपराधिक कानून 01/07/2024 से लागू होंगे ।

दिनांक 01/07/2024 से अपराध की घटना की तिथि और एफआईआर के पंजीकरण की तिथि के संबंध में पुलिस स्टेशनों के बीच एफआईआर के पंजीकरण में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद एफआईआर के पंजीकरण में स्पष्टता हेतु विभिन्न परिस्थितियों में लागू दंडात्मक कानून पर प्रकाश डालने वाली एक तालिका बनाई गई है:

अपराध/ घटना की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	कानून के प्रावधान लागू किये जायेंगे	प्रक्रियात्मक कानून का पालन किया जाना चाहिए
1 जुलाई 2024 से पहले	1 जुलाई 2024 से पहले	भारतीय दंड संहिता (IPC)	सीआरपीसी (Cr.P.C.)
1 जुलाई 2024 से पहले	1 जुलाई 2024 को या उसके के बाद	भारतीय दंड संहिता (IPC)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
1 जुलाई 2024 को या उसके बाद	1 जुलाई 2024 को या उसके बाद	भारतीय न्याय संहिता, **(BNS)**	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

आपके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले सभी अधिकारियों को इन तीनों कानूनों के सफल अनुपालन के लिए उचित निर्देश दें और इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही में कोई त्रुटि न रह जाए। इसके लिए तमाम स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफिंग द्वारा जागरूक किये जाते रहना, सभी से अपेक्षित है।

<u>यह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया गया है।</u>

पुलिस उपायुक्त: कानूनी प्रभाग, पु.मु.दिल्ली।

क्रमांक/ 6089 – 6188 विधि प्रभाग/पु.मु.दिल्ली, दिनांक 30/06/202

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसरित :-

1. समस्त विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
2. निदेशक/डीपीए, दिल्ली सहित, समस्त संयुक्त पुलिस आयुक्त।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
4. ओएसडी, सीपी, दिल्ली।
5. समस्त उपा० पु०/ जिला /इकाई, सीपी सचिवालय , एफआरआरओ और डीडी/डीपीए, दिल्ली।
6. उपा० पु०/मुख्यालय-IV/पु०मु० को इंट्रा डीपी पर परिपत्र अपलोड करने हेतु ।
7. एलए व एफए/सीपी, दिल्ली।
8. समस्त स०आ०पु०/ निरीक्षक/पु०मु०
9. सीपी, दिल्ली के पीएस/रीडर।
10. निरीक्षक / पुस्तकालय, पु०मु०।
11. अभिलेख शाखा/पु०मु०